न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 837/2021 (2021/)

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज)

––अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 08.09.2021

प्रार्थी प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकडी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकडी से करवायी गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट उनके पत्र कमांक/भू.अ./2021/7441 दिनांक 07.09.2021 से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। जॉच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल केकड़ी /भू.अ.नि.केकडी के द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट साथ संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम केकडी तहसील केकडी की वर्किग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 01 मे खसरा नंबर 1/2 रकबा 43.00.00बीघा ,101/2 रकबा 1.16.00बीघा एवं खसरा नंबर 102/1 रकबा 30.04.00बीघा कुल किता 03 रकबा 75.00बीघा (12.14 हैक्ट0)सिवायचक खाते मे कॉलेज दर्ज है।

मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1/2 रकबा 6.96 हैक्ट.,खसरा नंबर 101/2 रकबा 0.29 हैक्ट.एवं खसरा नंबर 102/1 रकबा 4.89 हैक्ट.खसरा नंबर 10222 रकबा 0. 54 हैक्ट0 से हाल खसरा नंबर 04 रकबा 12.68 हैक्ट0 बना है। हाल खसरा नंबर 04 रकबा 12.68 है0 किस्म गै.मु.आबादी खाता संख्या 01 मे सिवायचक दर्ज है,एवं वर्तमान मे उपरोक्त खसरा नंबर मे कॉलेज का भवन एवं चारदीवारी विद्यमान है।

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नंबर 04 रकबा 12.68 हैक्ट.मे दर्ज खसरा नबंरान के अतिरिक्त खसरा नंबर 102/2 रकबा 0.54 हैक्ट.को शामिल किया है। अर्थात् कॉलेज के नाम वर्किग जमाबंदी मे दर्ज भूमि 12.14 हैक्ट.के स्थान पर वर्तमान मे 12.68 हैक्ट.भूमि पर कॉलेज का भवन एवं चारदीवारी निर्मित है।

तहसीलदार केकड़ी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं भू अभिलेख निरीक्षक केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर गत रिकार्ड के मुकाबले हाल रेकार्ड खसरा नंबर 04 रकबा 1.68 हैक्ट.मे से रकबा 12.14 हैक्ट.भूमि राजकीय महाविद्यालय केकड़ी के नाम दर्ज करने एवं शेष रकबा 0.54 है0 सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज किये जाने की अभिशंषा की है।

तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट जो भू0अ0निरीक्षक केकड़ी एवं पटवारी केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ,तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा एवं रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दुरूस्ती किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। कस्बा केकड़ी के खसरा नंबर 04 रकबा 12.68 है0 मे से 12.14 है0 भूमि राजकीय महाविद्यालय केकडी के नाम [illegible] 0.54 हैक्ट0 भूमि सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार केक[illegible] जाते है। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड मे [illegible] फरिकन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाय[illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:28 IST
Reason: SelfAttested

08/09/2[illegible]

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी(अजमेर)

Scanned with CamScanner